9 अप्रैल, 2020 **कार्यकारी आदेश 2020-23**

COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 21)

जबकि, कोरोनावायरस 2019 (COVID-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ़्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के मामले विस्फोटक गति से तथा इलिनॉय में अधिकाधिक स्थानों पर बढ़ रहे हैं और परिणामस्वरूप मौतों की संख्या बढ़ रही है; और,

जबकि, इलिनॉय की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के पास देखभाल की आवश्यकता वाले सभी लोगों को देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता हो यह सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तियां और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की राह की रुकावटें या बाधाएं हटाना आवश्यक है; और,

जबकि, COVID-19 का जारी प्रसार एवं विषाणु (वायरस) के द्वारा जनता के स्वास्थ्य एवं कुशल-क्षेम के लिए प्रस्तुत ख़तरा, स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल का विस्तार करना आवश्यक करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इलिनॉय में COVID-19 वैश्विक महामारी की स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया में सहायता देने के लिए पर्याप्त पेशेवर हों; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रित्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (पहला राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (द फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

जबकि, मैंने कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (सेकंड ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फ़र्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, मैं संपूर्ण इलिनॉय राज्य में जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करने के लिए, हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली रोगियों की सेवा करने में सक्षम हो यह सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कोविड-19 (COVID-19) के लक्षणों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों का प्रभावी ढंग से और तीव्रता से परीक्षण और उपचार हो, अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक पाता हूं; और,

जबकि, वृत्तिक नियमन कानून विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन लॉ), 20 ILCS 2105-400, और उसके संलग्न विनियम वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन विभाग के सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन, IDFPR) को आपदा पर प्रतिक्रिया देने वाले लाइसेंसशुदा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए अधिकृत करते हैं; और,

जबकि, आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए IDFPR सचिव जो कदम उठा सकते हैं उनमें शामिल हैं (a) जो व्यक्ति किसी अन्य राज्य में लाइसेंसशुदा हैं उनकी स्थायी एवं अस्थायी लाइसेंस स्वीकृति या नियमन से संबंधित आवश्यकताओं को स्थगित करना, (b) विभाग द्वारा व्यवस्थापित किसी भी लाइसेंस स्वीकृति या नियमन अधिनियम के अंतर्गत अभ्यास के दायरे संबंधी प्रतिबंधों को संशोधित करना, और (c) भेषजालय अभ्यास अधिनियम (फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट) के अनुभाग 4(a) में दी गई छूट को विस्तार देना; और,

जबकि, वृत्तिक नियमन विभाग कानून (डिपार्टमेंट ऑफ़ प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन लॉ), 20 ILCS 2105-400(a)(1), (2) और (3), सचिव (सेक्रेटरी) को ऐसे लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए ये कदम उठाने हेतु अधिकृत करता है जो "किसी घोषित आपदा के अनुसरण में इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) और जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) के निर्देशांतर्गत कार्य कर रहे हैं";

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

<u>अनुभाग 1.</u> वृत्तिक नियमन कानून विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन लॉ), 20 ILCS 2105-400, और उसके संलग्न विनियमों में उपस्थित उस आवश्यकता को जो वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन विभाग के सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) को आपदा पर प्रतिक्रिया देने वाले लाइसेंसशुदा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने हेतु कुछ कदम उठाने के लिए अधिकृत करती है, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान उस सीमा तक स्थगित किया जाता है जिस तक वह सचिव (सेक्रेटरी) के प्राधिकार को राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा घोषित किसी आपदा के अनुसरण में इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) और इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) के निर्देशांतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों तक सीमित करती है। यह आवश्यकता कि सचिव (सेक्रेटरी) इस प्राधिकार का उपयोग केवल "इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) और जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) के साथ तालमेल में ही" करेगा, प्रभावी रहेगी। इस प्राधिकार का उपयोग करने में, सचिव (सेक्रेटरी) आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण

(एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) और जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) के निदेशकों के साथ समीपतापूर्वक कार्य करके सुनिश्चित करेगा कि जो भी प्रभावित लाइसेंसशुदा पेशेवर हों वे आपदा पर प्रतिक्रिया देने में सहायता कर रहे हों।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 9 अप्रैल, 2020
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 9 अप्रैल, 2020